न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 70/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. तुलछाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी तिपन्या की ढाणी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। –प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 04.12.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक के नाम से पैतृक कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 427 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 428/15 रकबा 35 बिस्वा वाके ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है। ग्राम तिपन्या की ढाणी नया राजस्व ग्राम घोषित होने के कारण वर्तमान में उपरोक्त भूमिय ग्राम तिपन्या की ढाणी की तन में अवस्थित है। गत भू–प्रबंध के दौरान उक्त भूमियो के नये खसरा नम्बर 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023 किता 7 कुल रकबा 8.85 है0 राजस्व रिकॅार्ड में कायम किये गये है। आवेदक उक्त भूमियों में 1/4 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियां आवेदक को विरासत नामांतकरण संख्या 930 सें प्राप्त हुई है। आवेदक का नाम उक्त भूमियों में तलसीरम पुत्र लूाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेत यथाा सर्विस कार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, आदि में तुलछाराम पुत्र लादूराम दर्ज है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों आवेदक के नाम में भिन्नता होने सें विभिन्न योजनओं का लाभ आवेदक को नहीं मिल पा रहा है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम तुलसीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र लादूराम जाति जाट हि0 1/4 निवासी तिपन्या की ढाणी (बानूड़ा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।
2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र लादूरा दर्ज करने हेतु आग्रह किया।

3. वकील प्रार्थी की पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है। उपतहसीलदार लोसल की रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य पहचान दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर तुलसीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र लादूराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तिपनियां की ढाणी पटवार हल्का बानूड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1015, 1017 ता 1020, 1022, 1023 किता 7 कुल रकबा 8.85 हैक्टेयर में खातेदार प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र लादूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

Scanned by CamScanner